FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सहाबुद्दीन** बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/231/2023 दायर दिनांक 14.11.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.2023	पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 72 डी 2079 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थानाधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 4439 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड दिया जाये तो कोई आपत्ति नही है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 01.01.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर 01/01/2024 वकील वादी/वकुलाय उप0/बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 08/01/2024 को पेश हो। रीडर	

०५/०८/२४

प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक के प्रति
पत्र पर तलब होकर आये हुए
वरिष्ठ नागरिक ने निर्धारित राशि
में कुर्ता पजामा व [illegible] [illegible]
लिया। जो तस्दीक कर ली [illegible]
[illegible]। प्रार्थी ने [illegible]
5.08.01 की [illegible] [illegible] कुर्ता
के हेतु अवकाश पाने [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] होकर बाद
तकलीफ [illegible] [illegible] दें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)